सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 32 राँची, गुरुवार, 21 पौष, 1939 (श०)

11 जनवरी, 2018 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

28 दिसंबर, 2017

विषयः Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (MIIUS) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत रियाडा अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र तुपुदाना में Common Effluent Treatment Plant (CETP) को स्थापित करने हेतु मूल योजना रू० 24.50 करोड़ के स्थान पर पुनरीक्षित राशि रू० 35.57 करोड़ से Zero Liquid Discharge (ZLD) स्थापित करने हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- 4447 -- राज्य सरकार औद्योगिक विकास हेतु एकीकृत बिहार के समय राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु "तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र" 258 एकड़ भूमि अर्जित कर स्थापित की गयी थी जिसमें लगभग 293 इकाई कार्यरत हैं एवं रू० 600.00 करोड़ का निवेश है ।

2. दिनांक 18 जुलाई, 2013 को भारत सरकार के योजना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा MIIUS योजना अधिसूचित की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवतापूर्ण आधारभूत संरचना उपलब्ध कराते हुए उद्योगों के बीच प्रतिस्पद्र्धा, तकनीकी उन्नयन एवं उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार का सृजन करना है ।

इस योजना के तहत आधारभूत औद्योगिक संरचना के रूप में Common Facility Centre (CFC), R&D Centre, CETP, Training Infrastructure, Quality Certification, Social Infrastructure, Water Supply, Roads, Captive Power Plant एवं Solid Waste Management Disposal/ Treatment Plant शामिल है तथा योजना का कार्यान्वयन State Implementing Agency (SIA) रियाडा सम्प्रति जियाडा द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया ।

3. MIIUS योजना के कार्यान्वित करने हेतु आयोजित बैठक में जिन्फ्रा के द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के आलोक में झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार राँची प्रक्षेत्र के क्षेत्राधीन तुपुदाना में Common Effluent Treatment Plant (CETP) की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया ।

4. उक्त के क्रम में राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा जिन्फ्रा के माध्यम से रियाडा औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत तुपुदाना में CETP स्थापित करने हेतु Detailed Project Report तैयार करवाई गई एवं पत्रांक 1329 दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 के द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर MIIUS योजना हेतु गठित शीर्ष समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया ।

5. Department of Industrial Policy and Promotion, Commerce & Industries Department, New Delhi द्वारा MIIUS की स्वीकृति हेतु गठित शीर्ष समिति की प्रथम बैठक दिनांक 2 जून, 2014 में तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के लिए Brown field के रूप में रू० 24.50 करोड़ के परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नांकित रूप से दी गयी:-

List of components in the project	**Cost of Component (as per DRF/MIIUS) (Rs. in Crore)**	**Central Grant (as per MIIUS) (Rs. in Crore)**
Physical Infrastructure (Road, Sewerage, Power, Street light, Water supply)	17.21	4.30 (25%)
Technical Infrastructure (CETP)	7.29	3.65 (50%)
Total	24.50	7.95
Admn Grant @ 2% of Central Grant		0.16
	Total	8.11

उपरोक्त योजना के तहत शेयर होल्डिंग पैटर्न निम्नवत रूप से स्वीकृत किया गया:-

Means of Finance	**Amount (as per MFR/MIIUS) (Rs. in crore)**
Central Grants	8.11
SIA (RIADA) Min. 25%	7.24
Private Sector Developers	3.00
Debt	6.15
Total Project Cost	24.50

6. भारत सरकार के सैद्धांतिक स्वीकृति के आलोक में एवं दिए गए शर्तों के आलोक में राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा भारत सरकार से योजना के अंतिम स्वीकृति हेतु निम्नांकित कार्रवाई की गयी है:-
   (A) रियाडा द्वारा तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि कर्णांकित कर दी गयी ।
   (B) MIIUS योजना हेतु रियाडा की 88वीं निदेशक मंडल की बैठक में तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्राप्त रू० 24.50 करोड़ के सैद्धांतिक स्वीकृति के क्रम में भारत सरकार के अंशदान रू० 8.11 करोड़ के अतिरिक्त शेष रू० 16.40 करोड़ में से रियाडा के द्वारा रू० 8.20 करोड़ व्यय करने एवं रू० 8.20 करोड़ राज्य सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त करने का निर्णय लिया गया ।
7. उपरोक्त वर्णित वित्तीय पैटर्न के अनुसार राज्यांश के रूप में कुल 8.10 करोड़ संकल्प संख्या 190 दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा स्वीकृत हुआ जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश अनुदान के रूप में रू० 2.00 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में स्वीकृत्यादेश संख्या-112 दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा रू० 6.10 करोड़ कुल रू० 8.10 करोड़ राज्यांश के रूप में रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (रियाडा) को विमुक्त किया गया, जो (रियाडा) के पी०एल० एकाउन्ट में जमा है ।

8. प्रश्नगत योजना स्वीकृति के अंतिम चरण में भारत सरकार के DIPP मंत्रालय द्वारा CETP योजना के स्थान पर Zero Liquid Discharge (ZLD) योजना की स्वीकृति देते हुए पत्रांक 19/ 1/2014-DBA-1/Vol.1 दिनांक 10 अगस्त, 2015 द्वारा संशोधित वित्तीय पैटर्न/परियोजना लागत निम्न प्रकार निर्धारित की गयी:-

Sl.	**Means of Finance**	**Amount (Rs.crore)**
1.	Central grants	14.05
2.	SIA(RIADA)/ JIADA (Ranchi Region)	13.32
3.	State Government Grant	8.20
	Total Project Cost	35.57

इस प्रकार final approval में योजना की लागत रू० 24.50 करोड़ से बढ़कर रू० 35.57 करोड़ हो गयी तथा यह वृद्धि लगभग 45% है जिसमें सरकार को रू० 8.20 करोड़ राज्यांश देय होता है जिसमें से रू० 8.10 करोड़ दी जा चुकी है एवं मात्र रू० 10.00 लाख देय है । जियाडा अपना अंशदान रू० 13.32 करोड़ देगी ।

9. भारत सरकार के DIPP मंत्रालय के स्वीकृत्यादेश संख्या 19 जनवरी, 2014- DBA/1/Vol.1 दिनांक 10 अगस्त, 2015 में उल्लेखित योजना के प्रावधान के अनुसार SIA(RIADA/JIADA(Ranchi Region) को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु Trust & Retention Account (TRA) खाता में अंशदान उपलब्ध कराना है । अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का व्यय हेतु इलाहाबाद बैंक, चुटिया शाखा में TRA खाता खोली गयी तथा इस योजना का संचालन इसी TRA खाता के माध्यम से किया जाना है ।

10. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न स्वीकृति दी जाती है:-
    (i) पूर्व स्वीकृत CETP योजना की राशि रू० 24.50 करोड़ की जगह नई स्वीकृत योजना Zero Liquid Discharge (ZLD) एवं लागत रू० 35.57 करोड़ की स्वीकृति ।
    (ii) राज्यांश के अवशेष राशि रू० 10.00 लाख अवशेष राज्यांश अनुदान राशि की स्वीकृति।
    (iii) DIPP के प्रावधान के आलोक में राज्यांश की राशि रू० 8.10 करोड़ जो RIADA/JIADA (Ranchi Region) के पी० एल० खाता में जमा हैं एवं भविष्य में अवशेष आवंटित की जाने वाली राशि रू० 10.00 लाख को इलाहाबाद बैंक के चुटिया शाखा के TRA खाता में हस्तातरित करने की स्वीकृति ।

11. इस पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव,
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 32 -- 50